

# कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, दक्षिण सागर, वनमण्डल (म.प्र.)

E-mail – dfotssagar@mp.gov.in Phone No. 07582-236215

क्रमांक/मा.चि./06/2018/ 3972  
प्रति.

सागर, दिनांक 3-12-18

कार्यपालन यंत्री,  
जल संसाधन संभाग क्रमांक-1  
सागर (म.प्र.)

विषय :-

सागर जिले के अन्तर्गत कैथ मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 79.912 हे. वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध) रातपुड़ा भवन भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-3/83/2017/10-11/12/3390 भोपाल दिनांक 31.10.2018
2. मुख्य वन संरक्षक, सागर वृत्त सागर का पत्र क्रमांक/मा.चि./FCA-Irr/2018/6249 सागर दिनांक 03.11.2018

उपरोक्त विषयांतर्गत दक्षिण सागर वन मण्डल के वन परिक्षेत्र ढाना में योजना से प्रभावित वन भूमि रकबा 79.912 हे. की सैद्धांतिक स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/ 8-20/2018-FC दिनांक 30.10.2018 द्वारा जारी की गई हैं। स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन कराने हेतु संदर्भित पत्र से निर्देश प्राप्त हुये हैं। शर्तों के पालन का विवरण निम्नानुसार हैं:-

क.	शर्त क्रमांक	शर्त का विवरण	कैम्पा मद में जमा करने हेतु निर्धारित राशि
1	2	3	4
1	X	प्रभावित वनभूमि की नेट प्रजेन्ट बेल्यू की राशि 6.26 लाख प्रति हे. की दर से 79.912 हे. 0की राशि	5,00,24,912
2		केचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान रकबा 7850.00 हे. की राशि	84,44,865
		योग:-	5,84,69,777

आप कृपया उक्त राशि 5,84,69,777 रु. (पाँच करोड़ चौरासी लाख उन्हत्तर हजार सात सौ सत्हत्तर रूपय) अधोहस्ताक्षरकर्ता वन मण्डल अधिकारी दक्षिण सागर के नाम देय हो। भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ई-पोर्टल के माध्यम से म.प्र. के कैम्पा मद में राशि जमा करें, एवं राशि जमा करने का प्रमाणीकरण हेतु आवश्यक बैंक विवरण दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक 01 से 32 तक का पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन अपलोड करते हुये हार्ड कॉपी चार प्रतियों में इस कार्यालय को आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करें। ताकि वरिष्ठ को प्रेषित किया जा सके।

वनमण्डल अधिकारी,  
दक्षिण सागर (सा.) वनमण्डल

15-11-2018

कमांक/मा.चि./06/2018/

प्रतिलिपि :- 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध) रालपुरा भवन भोपाल को उनके संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ संप्रेषित।

2. मुख्य वन संरक्षक, सागर वृत्त सागर को उनके संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ संप्रेषित।

3. वन मण्डल अधिकारी उत्तर सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि परियोजना में भारत सरकार द्वारा जारी सौजन्यिक स्वीकृति की प्रति संलग्न प्रेषित है। प्रभावित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि आपके वन मण्डल में ग्राम फुलचारी प.ह.नं. 22 खसरा नं. 1 एवं 43 रकबा 79.912 हे. हस्तांतरित भूमियों में वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि आवेदक संस्थान से जमा करवाने बावत् मांग पत्र जारी करने का कष्ट करें।

4. उप वनमण्डल अधिकारी दक्षिण सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5. वन परिक्षेत्र अधिकारी ढाना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न:- संदर्भित पत्र अनुक्रमांक 3, 4, एवं 5 के लिये।

H 19.11.18

वनमण्डल अधिकारी,  
दक्षिण सागर, (सा.) वनमण्डल  
15-11-2018